भारत के साप्ताहिक राजपत्र, भाग- IV में व्यक्तियों द्वारा बच्चे को गोद लेने के संबंध में विज्ञापन हेतु दिशा-निर्देश

भारत के राजपत्र भाग- IV में आवेदकों द्वारा बच्चे को गोद लेने के संबंध में विज्ञापन के प्रकाशन हेतु सूचना।

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित शपथपत्र
(ii) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति
(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ
(iv) साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर केवल एम एस वर्ड विंडो 2007 प्रपत्र में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी ।
(v) प्रत्येक प्राकृतिक/दत्तक के स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो तथा बच्चे की आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी (स्वप्रमाणित)।
(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।
(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

आवेदक को भारत के राजपत्र भाग- IV साप्ताहिक में, बच्चे को गोद लेने की सूचना के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है:-

1. गोद लेने के संबंध में एक सूचना प्राकृतिक अभिभावक एवं गोद लेने वाले अभिभावक दोनों की तरफ से स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसे अन्य दस्तावेजों के साथ मूल रूप से इस विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
2. दोनों प्राकृतिक एवं गोद लेने वाले अभिभावक द्वारा स्वयं सत्यापित एवं दोनों अभिभावक के नाम व पूर्ण पता तथा गोद लेने की तारीख के साथ एक शपथपत्र के जिसमें यह घोषणा किया गया हो कि इसमें निहित तथ्य उसके/उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही है की मूल प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए ।
3. विधिवत स्वप्रमाणित प्राकृतिक/दत्तक माता-पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के दो पासपोर्ट आकार के फोटो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
4. दत्तक ग्रहण/गोद लेने के प्रकाशन का मुद्रण शुल्क दिनांक 01-04-2016 से रु. 1700/-है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।
5. चरण : राजपत्र खोज करने के लिए

चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र
चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें ।
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।
चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ ।

चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दें:- वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई ई-प्रकाशित राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6. उपरोक्त सभी दस्तावेज़, मुद्रण शुल्क एवं अग्रेषण पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के पते पर एक स्वयं सत्यापित आई डी प्रूफ के साथ व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
7. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे।
8. आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमे यह घोषणा किया जाना चाहिए कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में निहित विषयवस्तु एक समान है। साथ ही उसे यह भी शपथ लेना चाहिए कि आवेदक किसी भी असंगति अथवा पारावहन में हुए नुकसान के लिए स्वयं ज़िम्मेवार होगा।
9. इस विषय विभाग में पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक है।
10. सभी आवेदन आवेदकों के द्वारा स्वप्रमाणित फोटो आईडी प्रमाण के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा मान्य होगा। एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
11. प्राप्त आवेदन को पूर्ण जाँच के बाद, संबंधित भारत सरकार के प्रेस को अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा।
12. यह विभाग संबन्धित प्रैस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।
13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक

<u>बच्चे को गोद लेने के लिए नमूना प्रपत्र</u>

(विधिवत टाइप किए गए या कम्प्यूटरीकृत प्रिंट-आउट (दो प्रतियां) और एमएस वर्ड में एक सीडी जमा की जानी चाहिए)

मैं...पुत्रश्री ....

निवास स्थान...

....

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि पंजीकरण संख्या..

दिनांक .... उप पंजीयक...

के माध्यम से मेरा पुत्र / पुत्री...

उम्र...................... वर्ष को श्री..

पुत्र श्री ....निवास स्थान ....

....

के द्वारा गोद लिया गया है।

(नैसर्गिक/प्राकृतिक अभिभावक का नाम)
नैसर्गिक/प्राकृतिक अभिभावक का हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मैंने मैं श्री ....पुत्र श्री ....निवास स्थान ....

में (विभाग/संस्था का नाम)..(पद)..

के रूप में कार्यरत हूँ और (बच्चे का नाम)..को जैसा की ऊपर दर्शाया है दिनांक .... से गोद ले लिया है।

(गोद लेने वाले अभिभावक का नाम)
गोद लेने वाले अभिभावक का हस्ताक्षर

गवाह/साक्षी संख्या:- 1

हस्ताक्षर _______________________________पूरा नाम ____

पता ____

मोबाइल संख्या :- ____

गवाह/साक्षी संख्या:- 2

हस्ताक्षर _______________________________पूरा नाम ____

पता ____

मोबाइल संख्या :- ____